।। कार्यालय : जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग ।।

पत्रांक 1918 / यात्रा व्यवस्था / निविदा–यात्रा व्यवस्था / 2015–16 दिनॉक 27 मार्च, 2017,

अल्पकालीन निविदा

जिलाधिकारी कार्यालय रूद्रप्रयाग द्वारा श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर घोड़े–खच्चर संचालन हेतु प्रीपेड व्यवस्था वर्ष 2017 हेतु ऐसे अनुभवी कम्पनियों / फर्मों से जिन्हें सिक्योरिटी योजना के साथ किसी भी धार्मिक स्थल में प्रीपेड बिलिंग सिस्टम जिसमें प्रतिदिन 5000 से अधिक व्यक्तियों के संचालन की व्यवस्था करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव हो, **से दिनांक 19 अप्रैल, 2017 (बुद्धवार) को अपराह्न 1.00 बजे तक सीलबंद निविदा पंजीकृत डाक से जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी (यात्रा कन्ट्रोल रूम) कलक्ट्रेट भवन रूद्रप्रयाग के पते पर आमंत्रित की जाती है, जो उसी तिथि को अपराह्न 3.00 बजे बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोली जायेंगी।** निविदा लिफाफे पर दायीं ओर ऊपर की तरफ **"प्रीपेड काउण्टर हेतु निविदा"** अंकित करना आवश्यक है। **प्रीपेड व्यवस्था की निविदा हेतु नियम एवं शर्ते निम्न प्रकार हैं–**

1. निविदा के साथ अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें। (मूल प्रति निविदा खोलते समय समिति को दिखाना अनिवार्य है)
2. जमानत राशि रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) जो बैंक एफ0डी0 या एन0एस0सी0 जो जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग के पदनाम बंधक कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा के साथ रू0 100.00 का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर व रू0 1.00 का हस्ताक्षर युक्त रसीदी टिकट संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आयकर का पैन कार्ड एवं अद्यतन आयकर रिटर्न की कॉपी।
5. वाणिज्य कर पंजीकरण की छायाप्रति।
6. प्रीपेड व्यवस्था हेतु निम्न निर्धारित स्थानों पर निम्न प्रकार निर्धारित संख्या में काउण्टर स्थापित करना अनिवार्य होंगे:–**(a) सोनप्रयाग–02 काउण्टर (b) गौरीकुण्ड–02 काउण्टर (c) लिनचोली–02 काउण्टर (d) केदारनाथ बेस कैम्प–02 काउण्टर**
7. श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर प्रीपेड व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित घोड़े–खच्चरों की **04 स्थानों पर Location track** करने हेतु **Standard Specification** वाले **CE,FCC Certified Long Range UHF Reader and External UHF Antenna**(निर्धारित **Operating Frequency** वाले) तथा संचालित होने वाले घोड़े–खच्चरों हेतु उक्त **Long Range UHF Reader and External UHF Antenna** के **Specification** के अनुकूल उच्चगुणवत्ता के न्यूनतम 5000 **UHF Tags** उपलब्ध कराने होंगे।
8. चयनित फर्म द्वारा Ensure किया जायेगा कि यात्रा मार्ग पर संचालित होने वाले शत–प्रतिशत घोड़े–खच्चरों पर अनिवार्यतः **UHF Tags** लगे हों।
9. फर्म द्वारा उक्त घोड़े–खच्चर प्रीपेड व्यवस्था तथा **Location tracking** हेतु तैयार किया जाना वाला सॉफ्वेयर भी निविदा में सम्मिलित होगा तथा प्रत्येक दिन की यात्री / प्रयुक्त घोड़े का **Tage number** / गतंव्य स्थान / पड़ाव पार करने का समय इत्यादि सम्बन्धी जानकारी की **e-report** जिला कार्यालय की ई0मेल आई0डी0 पर अगले दिन सुबह तक उपलब्ध करानी होगी।

10. घोड़े–खच्चरों का संचालन रोटेशन के आधार पर व शांन्तिपूर्वक सम्पूर्ण व्यवस्था /संचालन स्वयं कम्पनी/फर्म के द्वारा किया जायेगा।

11. प्रीपेड व्यवस्था के लिए शेल्टर एवं काउण्टर जिला प्रशासन द्वारा दिये जायेंगे।

12. प्रीपेड काउण्टरों का संचालन प्रातः 04:00 बजे से लेकर सांय 05:00 बजे तक नियमित रूप से किया जायेगा।

13. चयनित कम्पनी/फर्म द्वारा प्रीपेड काउण्टरों के बाहर प्रशासन द्वारा घोड़े–खच्चरों हेतु निर्धारित दरें (rates) बड़े **flexi boards** स्थापित कर प्रदर्शित करने होंगें। साथ ही काउण्टरों पर यात्रियों की जानकारी हेतु "**प्रीपेड काउण्टर (पड़ाव का नाम)**" अंकित करते हुए **signages/flexi** स्थापित किये जायेंगें।

14. प्रीपेड काउण्टरों के नियमित संचालन हेतु सम्बन्धित फर्म को नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विद्युत जनरेटर की व्यवस्था प्रत्येक प्रीपेड काउण्टर पर अनिवार्य होगी, जिसके ईंधन की व्यवस्था एवं संचालन की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।

15. प्रत्येक प्रीपेड काउण्टर के प्रत्येक पटल पर संचालन हेतु 02 कार्मिकों की व्यवस्था नियमित रूप से करनी अनिवार्य होगी।

16. प्रत्येक प्रीपेड स्थल पर 01 साफ्टवेयर इंजीनियर की व्यवस्था सम्बन्धित फर्म को अनिवार्य रूप से करनी होगी।

17. प्रीपेड व्यवस्था में प्रयुक्त सामग्री जैसे–कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, थर्मल प्रिन्टर, यात्रा पर्ची, कलर कार्टेज आदि एवं मानव संसाधन भी निविदा के साथ सम्मिलित किये जायें। सामग्री का पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

18. किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को होगा।

19. किसी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र रूद्रप्रयाग होगा।

20. फर्म को भुगतान योजना के सफल संचालन करने के पश्चात किश्तों में किया जायेगा।

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।